प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II)का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANTGENERAL (AUDIT-II), KERALA, THRUVANANTHAPURAM

सं. लेप.II/ प्रशा./ वरि. लेप.अ.(वा.)/7-9/2023-24/ No. Au. II/Admn/Sr. AO(C)/7-9/2023-24/

दिनांक: 17.08.2023

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER No.2

विषय: सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज-श्री पिजुराज के आर, व.लेखापरीक्षा अधिकारी(वा.) के मामले-संबंधी

Sub: Coverage Under CCS(Pension) Rules,1972(now 2021)- Case of Shri Shijuraj K R, Senior Audit Officer(Commercial)-reg

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी का.जा. सं. 57/05/2021- P & PW (B) दिनांक .03.03.2023 के अनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना में परिवर्तित करने हेतु श्री पिजुराज के आर, व.लेखापरीक्षा अधिकारी (वा.) के आवेदन की जांच, उक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के आलोक में की गई।

इस कार्यालय में उपलब्ध और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, गोवा और कर्मचारी चयन आयोग से एकत्र की गई जानकारी और दस्तावेजों के साथ विकल्प की उचित जांच और सत्यापन के बाद यह पृष्टि की गई है कि श्री षिजुराज के आर का.जा. सं. 57/05/2021- P & PW (B) दिनांक .03.03.2023 के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत आने के लिए एकमुश्त विकल्प का उपयोग करने के पात्र हैं।

The request of Shri Shijuraj K R, Senior Audit Officer(Commercial) for switch over to the Pension Scheme under the CCS(Pension) Rules,1972(now 2021), in accordance with OM No. 57/05/2021- P & PW (B) dated 03 March 2023 issued by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare was examined in the light of the provisions of the said Office Memorandum.

After proper examination and verification of the option with information and documents available in this office and collected from O/o PAG(Audit), Goa and Staff Selection Commission, it is confirmed that Shri Shijuraj K R is eligible to exercise one-time option to come under the CCS(Pension) Rules,1972(now 2021) in terms of the DOPPW's OM dated 03.03.2023.

पुरानी पेंशन योजना में स्विचओवर के लिए अधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को स्वीकार करने पर, निम्नलिखित परिवर्तन भी प्रभावी होंगे:

- 1. 31.12.2023 से एनपीएस खाता बंद करना और 01.01.2024 से जीपीएफ खाता खोलना।
- अधिकारी द्वारा अगस्त 2004 से दिसंबर 2023 तक किए गए एनपीएस कर्मचारी योगदान की गणना और उस पर ब्याज और राशि को नए खोले गए जीपीएफ खाते में जमा करना।

On accepting the option exercised by the officer for switchover to the Old Pension Scheme, the following changes are also to be brought into effect:

- Closing of NPS Account w.e.f 31.12.2023 and opening of GPF account w.e.f 01.01.2024.
- Calculation of the NPS employee contribution made by the officer from August 2004 to December 2023 and interest thereon and crediting the amount so to the newly opened GPF account.

(प्राधिकार/Authority: Orders of the Principal Accountant General dated 07.08.2023)

व.लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.) Senior Audit Officer (Admn.)

12/08/223

प्रतिलिपि/То

- 1. श्री षिजुराज के आर, वरि.लेप.अ.(वा.)/Shri Shijuraj K R, Sr AO(C)
- 2. मिन.(वाणिज्यिक-II), नि.मलेप. का कार्यालय, नई दिल्ली/DG (Commercial-II), O/o CAG, New Delhi
- 3. प्र.मले.(लेखापरीक्षा II) के सचिव/Secretary to PAG (Audit II)
- 4. वरि.उ.मले. (प्रशा. व लेप.प्र.स. I) के नि.सहा./PA to Sr DAG (Admn & AMG I)
- 5. उ.मले. (लेप.प्र.स. II) के वरि.नि.स./Sr PS to DAG (AMG II)
- 6. वरि.उ.मले. (लेप.प्र.स. III) के वरि.नि.सहा./PA to Sr DAG (AMG III)
- 7. पीएओ- सूचना और 01.01.2024 से जीपीएफ खाता खोलने और श्री शिजुराज के आर, व.लेप.अ. द्वारा किए गए एनपीएस कर्मचारी के योगदान को नए जीपीएफ खाते में अंतरित करने हेतु कदम उठाने के लिए और दिनांक 03.03.02023 के का.जा. में निर्धारित अनुसार अन्य समायोजन हेतु PAO- for information and to initiate steps to open GPF Account from 01.01.2024 and to transfer the NPS employee's contribution made by Shri Shijuraj K R, SAO to the new GPF account and for other adjustments as stipulated in OM dated 03.03.2023.
- 8. वरि.लेप.अ.(बिल्स/रोकड़/हक.)/Sr AO (Bills/ Cash/Entt)
- 9. वरि.लेप.अ. लेप.प्र.स. ॥ (मुख्या.) I Sr AO AMG II(HQ)I
- 10. व्यक्तिगत फाइल/Personal File